न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/68/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/255

अपीलार्थी | **बनाम** | **प्रत्यर्थी**

श्री निराकार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा,
निवासी—पई गेट, वाया पोस्ट ऑफिस मालाखेडा,
जिला—अलवर (राज.)—301406

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 31.05.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.06.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांकः 23.02.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को वर्ष 1998 में स्वीकृत गृह ऋण की राशि का ब्यौरा तथा जमा कराने का ब्यौरा संबंधी 04 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 28.05.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 1456 दिनांकः 14.06.22 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए जवाब प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठाकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम सूचना आवेदन दिनांकः 23.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 815 दिनांकः 13.04.22 के माध्यम से बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, तामिल की फोटोप्रति भी संलग्न कर न्यायालय में पेश की गई है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के अनुसरण में भी संबंधित कार्यालय/अनुभाग से सूचना प्राप्त कर पुनः पत्र सं. 1455—56 दिनांकः 14.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया है।
8. अपीलार्थी द्वारा अपील के प्रक्रम पर प्रा0पत्र दिनांकः 28.05.22 के बिन्दु सं. 1 में वर्णित ऋण राशि रू. 180000/— के मध्ये जिला कोषाधिकारी, अलवर से उक्त ऋण राशि में से मूलधन राशि एवम् ब्याजे के मध्ये कटौती राशि छांटकर/विश्लेषणोपरान्त सीट उपलब्ध कराने की वांछा लोक प्राधिकारियों से की गई है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 02.02.2009 के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत "सृजन" की श्रेणी में होने के कारण देय नहीं है, लोक सूचना अधिकारी केवल उनके क्षेत्राधीन उपलब्ध/संधारित रिकॉर्ड से प्रतिलिपि जारी किए जाने के लिए अधिकृत है।
9. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है तथापि लोकहित में अपीलार्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वो सूचना आवेदन में वांछित अभिलेख के संबंध में प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर में संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 28.06.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)